AEC
Australian Electoral Commission

मतदान स्थल पर मतदान कैसे करें

पढ़ने में आसान मार्गदर्शिका

Easy Read

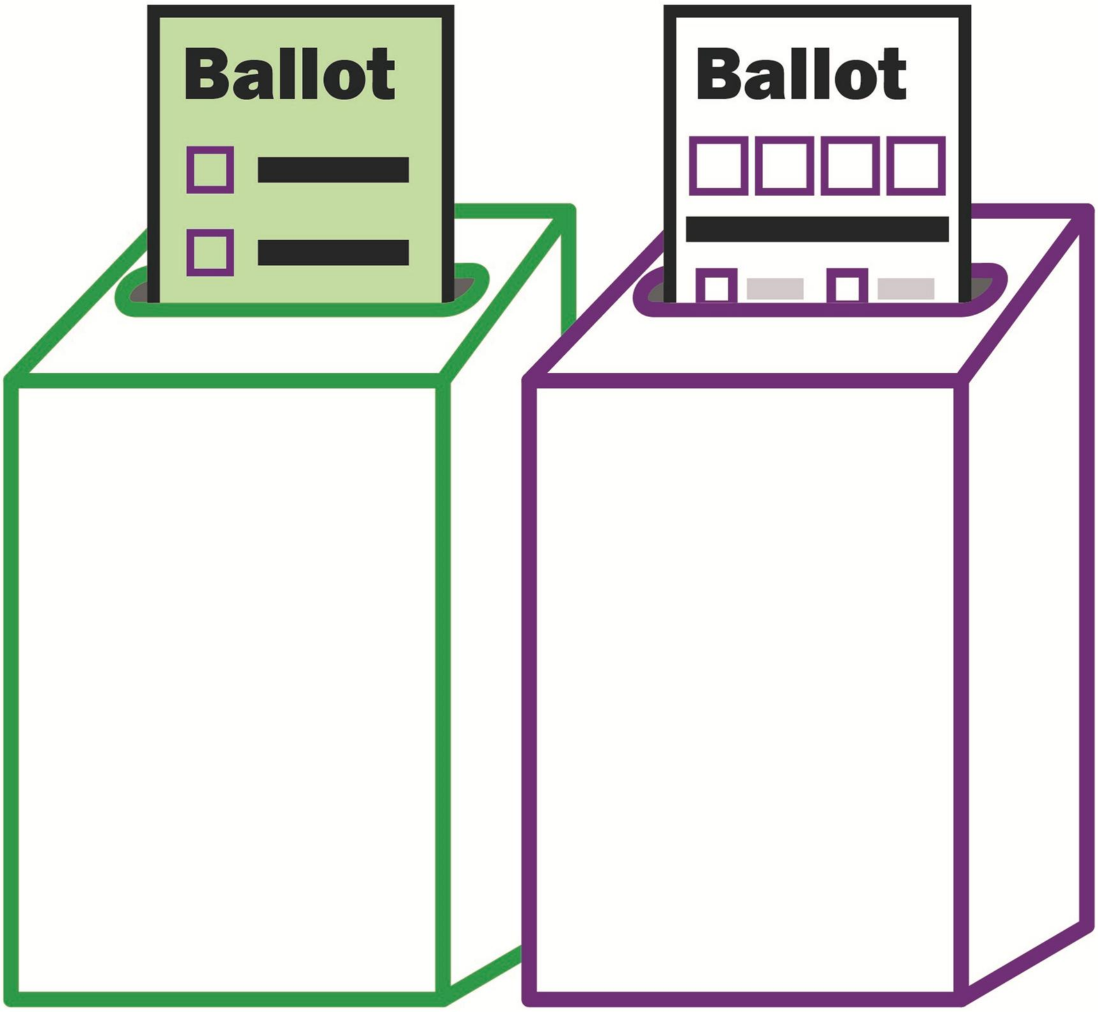

Hindi | हिंदी

इस मार्गदर्शिका का उपयोग कैसे करें

ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग (एईसी) ने यह मार्गदर्शिका तैयार की है। जब आपको 'हम' शब्द या इसका कोई प्रारूप दिखाई देता है, तो इसका अर्थ एईसी है।

हमने इस मार्गदर्शिका को पढ़ने में आसान तरीके से लिखा है।

कुछ विचारों को समझाने के लिए हमने चित्रों का प्रयोग किया है।

हमने कुछ शब्दों को **बोल्ड अक्षरों** में लिखा है। हम इन शब्दों के अर्थ समझाएँगे। पृष्ठ 29 पर इन शब्दों की एक सूची दी गई है।

आप इस मार्गदर्शिका को पढ़ने के लिए सहायता ले सकते/सकती हैं। कोई मित्र, परिवार का सदस्य या समर्थन व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है।

इस मार्गदर्शिका में क्या दिया गया है?

चुनाव में मतदान करना	4
मतदान के लिए अपना नामाँकन करना	6
आपको मतदान करने की आवश्यकता कब होती है?	7
यदि आप चुनाव के दिन मतदान न कर पाएँ, तो क्या होगा?	8
आप मतदान करने के लिए कहाँ जाते/जाती हैं?	10
चुनाव के दिन क्या होता है?	12
चुनाव अधिकारी क्या करेगा?	15
आपको अपने मतपत्रों के साथ क्या करना चाहिए?	17
आपको अपना हरे रंग का मतपत्र कैसे भरना चाहिए?	18
आपको अपना सफेद रंग का मतपत्र कैसे भरना चाहिए?	20
यदि आपको मतदान के समय सहायता की आवश्यकता हो, तो क्या करना चाहिए?	24
यदि आपसे गलती हो जाए, तो क्या करना चाहिए?	25
आपको अपने मतपत्र कहाँ जमा करने चाहिए?	26
क्या आप चुनाव से पहले मतदान का अभ्यास कर सकते/सकती हैं?	27
आप और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते/सकती हैं?	28
शब्द सूची	29
हमसे संपर्क करें	33

चुनाव में मतदान करना

ऑस्ट्रेलिया में लगभग हरेक 3 सालों में **संघीय चुनाव** आयोजित किए जाते हैं।

संघीय चुनाव पूरे देश के लिए होता है।

इसके माध्यम से हम ऑस्ट्रेलिया की सरकार का चुनाव करते हैं।

गवर्नर-जनरल चुनाव की तिथि का चयन करते हैं। चुनाव शनिवार के दिन आयोजित किए जाते हैं।

उस दिन ऑस्ट्रेलियाई नागरिक **मतदान** करेंगे।

जब आप मतदान करते/करती हैं, तो आप इस बात का चयन करने में सहायता देते/देती हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार का हिस्सा कौन बनेगा।

आपके लिए मतदान करना अनिवार्य है, यदि आप:

- एक ऑस्ट्रेलियाई **नागरिक** हैं

  और

- आपकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है।

नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने निवास के देश के अधिकार और स्वतंत्रताएँ दी जाती है।

मतदान करके आप इस बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकते/सकती हैं कि हमारे देश का संचालन कौन करेगा।

मतदान के लिए अपना नामाँकन करना

मतदान करने से पहले आपको अपना **नामाँकन** करना होगा।

जब आप अपना नामाँकन करते/करती हैं, तो हम **मतदाताओं** की एक सूची में आपका नाम दर्ज करते हैं – वे लोग जो मतदान कर सकते हैं।

इस सूची को **मतदाता सूची** कहा जाता है।

मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको एक नामाँकन फॉर्म भरना होगा।

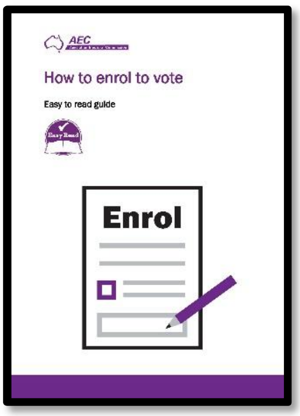

आप नामाँकन करने का तरीका बताने वाली हमारी मार्गदर्शिका पढ़ सकते/सकती हैं – *मतदान के लिए अपना नामाँकन कैसे करें।*

आपको मतदान करने की आवश्यकता कब होती है?

गवर्नर-जनरल चुनाव की तिथि तय करते हैं।

चुनाव की तिथि तय कर लिए जाने के बाद हम लोगों को बताएँगे कि यह तिथि क्या है।

यदि आप जानना चाहते/चाहती हैं कि चुनाव का तिथि क्या है, तो आपः

- हमारी वेबसाइट www.aec.gov.au पर जा सकते/सकती हैं
- किसी परिजन, मित्र या पड़ोसी से पूछ सकते/सकती हैं
- टीवी पर समाचार देख सकते/सकती हैं
- ऑनलाइन खोज कर सकते/सकती हैं
- नंबर 13 23 26 पर हमें कॉल कर सकते/सकती हैं।

चुनाव के दिन मतदान सुबह 8 बजे आरंभ होता है।

चुनाव के दिन मतदान शाम 6 बजे समाप्त होता है।

आपको मतदान समाप्त होने से पहले मतदान करना होगा।

यदि आप चुनाव के दिन मतदान न कर पाएँ, तो क्या होगा?

कभी-कभी लोग चुनाव के दिन मतदान नहीं कर पाते हैं।

ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे अवकाश पर घूमने जा रहे होते हैं।

या शायद वे अस्पताल में होंगे।

यदि आप चुनाव के दिन मतदान न कर पाएँ, तो आप चुनाव से पहले मतदान कर सकते/सकती हैं।

आप चुनाव के दिन से पहले कुछ मतदान स्थलों पर भी मतदान कर सकते/सकती हैं।

यदि आप हमें कॉल करते/करती हैं, तो हम आपके निकट स्थित मतदान स्थल की खोज करने में आपकी सहायता कर सकते/सकती हैं।

13 23 26

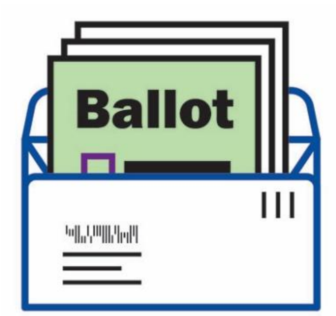

आप हमें डाक से भी अपना मत भेज सकते/सकती हैं।

इसे **डाक से मतदान** कहा जाता है।

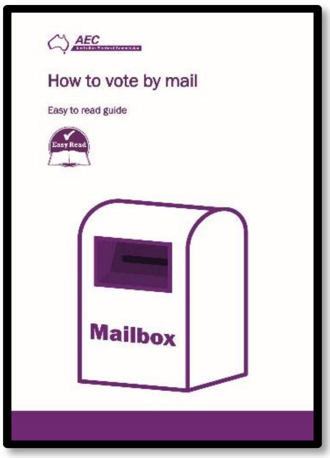

आप डाक से मतदान करने का तरीका बताने वाली हमारी मार्गदर्शिका पढ़ सकते/सकती हैं – *डाक से मतदान कैसे करें।*

आप मतदान करने के लिए कहाँ जाते/जाती हैं?

चुनाव के दिन आप मतदान करने के लिए एक **मतदान स्थल** पर जाते/जाती हैं।

मतदान स्थल स्कूल या सामुदायिक केंद्र जैसा एक भवन होता है, जहाँ चुनाव के दौरान लोग मतदान करने के लिए जाते हैं।

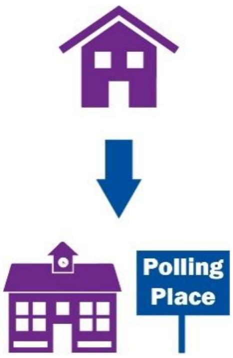

आपको सामान्यतः अपने घर के निकट एक मतदान स्थल मिलेगा।

चुनाव का दिन तय कर लिए जाने के बाद हम अपनी वेबसाइट पर मतदान स्थलों की एक सूची उपलब्ध कराएँगे।

www.aec.gov.au

या आप हमें फोन कर सकते/सकती हैं और हम एक मतदान स्थल की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे।

13 23 26

आप अपने राज्य या राज्य-क्षेत्र में स्थित किसी भी मतदान स्थल पर मतदान कर सकते/सकती हैं।

यदि आप चुनाव के दिन किसी दूसरे राज्य या राज्य-क्षेत्र में हैं, तो आप एक अंतरराज्यीय मतदान केंद्र में मतदान कर सकते/सकती हैं।

चुनाव के दिन क्या होता है?

मतदान स्थल के बाहर

मतदान स्थल के बाहर आपको:

- **मतदाता** दिखाई देंगे - वे लोग जो मतदान कर सकते हैं
- **उम्मीदवारों** का समर्थन करने वाले लोग दिखाई देंगे।

उम्मीदवार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का हिस्सा बनना चाहता है।

आप उस उम्मीदवार के लिए मतदान करते/करती हैं जिसे आप चुनाव में विजेता देखना चाहते/चाहती हैं।

उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले लोग *मतदान कैसे करें* निर्देशों वाले कार्ड देंगे।

मतदान कैसे करें निर्देशों वाले कार्ड प्रत्येक उम्मीदवार के लिए मतदान करने का तरीका बताते हैं।

मतदान कैसे करें निर्देशों वाला कार्ड आपको:

- उस उम्मीदवार का चुनाव करने में सहायता दे सकता है, जिसे आप अपना मत देना चाहते/चाहती हैं
- उस उम्मीदवार के लिए सही तरीके से मतदान करने में सहायता दे सकता है ।

आपके लिए कोई भी *मतदान कैसे करें* निर्देशों वाला कार्ड लेना आवश्यक नहीं है।

मतदान स्थल के अंदर

जब आप मतदान स्थल के अंदर जाएँगे/जाएँगी, तो वहाँ **चुनाव अधिकारी** उपस्थित होंगे।

चुनाव अधिकारी वे लोग होते हैं, जो चुनाव के दिन मतस्थलों पर कार्य करते हैं।

उनका कार्य आपकी सहायता करना होता है।

जब आप मतदान स्थल के अंदर जाते/जाती हैं, तो आपको कतार में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

यदि कोई कतार न हो, तो आप सीधे मेज पर जाकर चुनाव अधिकारी से बात कर सकते/सकती हैं।

चुनाव अधिकारी क्या करेगा?

चुनाव अधिकारी आपसे 3 प्रश्न पूछेगा।

1. **आपका पूरा नाम क्या है**?

चुनाव अधिकारी को अपना:

- प्रथम नाम बताएँ
- पारिवारिक नाम बताएँ।

आपको उन्हें वही नाम बताना चाहिए जो आपने मतदान के लिए नामांकन करते समय हमें बताया था।

2. **आप कहाँ रहते/रहती हैं**?

उन्हें अपने घर का पता बताएँ।

आपको उन्हें वही पता बताना चाहिए जो आपने मतदान के लिए नामांकन करते समय हमें बताया था।

मतदान अधिकारी मतदाता सूची में आपके नाम की खोज करेगा।

जब उसे आपका नाम मिल जाता है, तो वह मतदाता सूची में इसपर निशान लगाएगा।

3. **क्या आपने इस चुनाव में पहले मतदान किया है**?

यदि आपने:

- चुनाव के दिन
- चुनाव के दिन से पहले, जैसे डाक से मतदान द्वारा

पहले मतदान नहीं किया है, तो "नहीं" कहें।

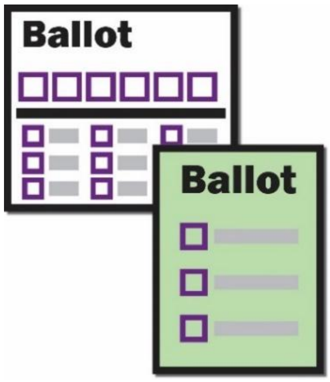

चुनाव अधिकारी आपको 2 **मतपत्र** देगा:

- एक सफेद रंग का
- एक हरे रंग का।

मतपत्र वे फॉर्म होते हैं:

- जिन्हें आप अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने के लिए भरते/भरती हैं
- जिनपर उम्मीदवारों के नाम छपे होते हैं।

आपको अपने मतपत्रों के साथ क्या करना चाहिए?

जब आपके पास अपने मतपत्र हों, तो उन्हें एक कार्डबोर्ड मतदान स्क्रीन के अंदर ले जाएँ।

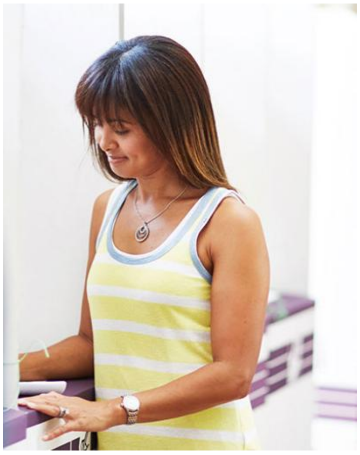

स्क्रीन के अंदर आप अपने मतपत्र भर सकते/सकती हैं, जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आपको देख नहीं सकता है।

वहाँ आपके उपयोग के लिए एक पेंसिल होगी।

लेकिन यदि आप चाहें, तो आप अपने खुद के पेन या पेंसिल का उपयोग कर सकते/सकती हैं।

आपको अपना हरे रंग का मतपत्र कैसे भरना चाहिए?

आपका हरे रंग का मतपत्र **प्रतिनिधि सदन** के लिए होता है।

प्रतिनिधि सदनः

- ऑस्ट्रेलिया की संसद के 2 सदनों में से 1 सदन है - इस सदन में सरकार बनाई जाती है

- में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों द्वारा मतदान से चुने गए 151 लोग शामिल होते हैं।

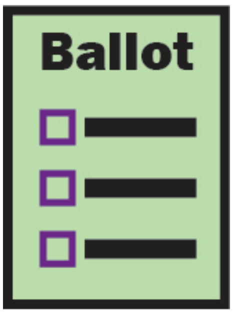

आपके हरे रंग के मतपत्र में:

- उम्मीदवारों के नामों की एक सूची होती है
- खाली चौखाने होते हैं।

आप जिस उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 1 लिखें।

जो उम्मीदवार आपकी दूसरी प्राथमिकता है, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 2 लिखें।

जब तक सभी चौखाने भर न जाएँ, तब तक उम्मीदवार चुनकर सँख्याएँ लिखते रहें।

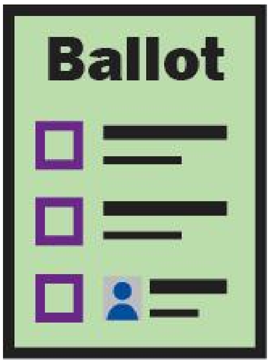

कुछ उम्मीदवारों के नाम के बगल में शब्द या चित्र हो सकते हैं।

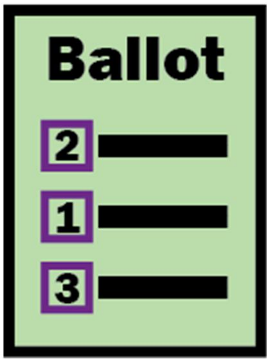

प्रत्येक चौखाने में एक अलग सँख्या होनी चाहिए।

सभी चौखानों को भर दिए जाने के बाद आपका मतपत्र पूरा हो जाता है।

आपको अपना सफेद रंग का मतपत्र कैसे भरना चाहिए?

आपका सफेद रंग का मतपत्र **सीनेट** के लिए होता है।

सीनेट:

- ऑस्ट्रेलिया की संसद के 2 सदनों में से 1 सदन है - इसे उच्च सदन कहा जाता है

- में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों द्वारा मतदान के माध्यम से चुने गए 76 लोग शामिल होते हैं, जो:
    - o 6 राज्यों
    - o 2 राज्य-क्षेत्रों

  का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आपके सफेद रंग के मतपत्र में एक काली रेखा होती है।

काली रेखा के ऊपर दलों की एक सूची दी गई होती है।

अधिकाँश दल **राजनीतिक दल** होते हैं।

राजनीतिक दल उम्मीदवारों का एक समूह होता है, जो:

- एक ही विचार रखते हैं
- इसपर सहमति रखते हैं कि सरकार को हमारा देश कैसे चलाना चाहिए।

काली रेखा के नीचे उम्मीदवारों की एक सूची दी गई होती है।

सफेद रंग के मतपत्र को भरने के 2 तरीके हैं:

- काली रेखा के ऊपर दिए गए चौखाने में सँख्याएँ लिखें और अपना मत दलों को दें

या

- काली रेखा के नीचे चौखानों में सँख्याएँ लिखें और उम्मीदवारों को मत दें।

काली रेखा के ऊपर मतदान कैसे करें

आप जिस दल को अपना मत देने के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 1 लिखें।

जो दल आपकी दूसरी प्राथमिकता है, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 2 लिखें।

जब तक सभी 6 चौखाने भर न जाएँ, तब तक दलों को चुनकर सँख्याएँ लिखते रहें।

आप 6 पर समाप्त कर सकते/सकती हैं या सँख्याएँ लिखना जारी रख सकते/सकती हैं।

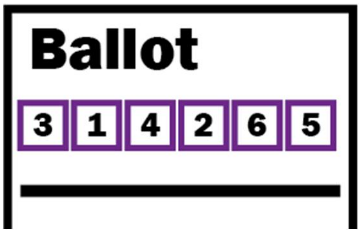

यदि 6 से कम खाली चौखाने हों, तो प्रत्येक चौखाने में एक सँख्या लिखें।

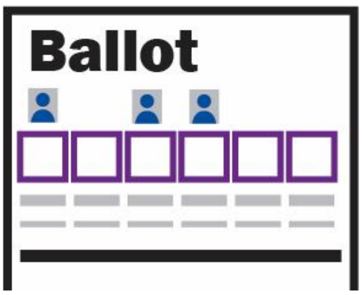

कुछ दलों के नाम के बगल में शब्द या चित्र हो सकते हैं।

काली रेखा के नीचे मतदान कैसे करें

आप जिस उम्मीदवार को अपना मत देने के लिए सबसे अधिक इच्छुक हैं, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 1 लिखें।

जो उम्मीदवार आपकी दूसरी प्राथमिकता है, उसका नाम चुनें।

उसके नाम के बगल में दिए गए खाली चौखाने में 2 लिखें।

जब तक सभी 12 चौखाने भर न जाएँ, तब तक उम्मीदवार चुनकर सँख्याएँ लिखते रहें।

आप 12 पर समाप्त कर सकते/सकती हैं या सँख्याएँ लिखना जारी रख सकते/सकती हैं।

यदि 12 से कम खाली चौखाने हों, तो प्रत्येक चौखाने में एक सँख्या लिखें।

यदि आपको मतदान के समय सहायता की आवश्यकता हो, तो क्या करना चाहिए?

यदि आपको मतदान के समय सहायता की आवश्यकता हो, तो आप:

- अपने साथ किसी परिजन या मित्र को ले जाएँ
- किसी चुनाव अधिकारी से कहें।

चुनाव अधिकारी:

- मतपत्र भरने में आपकी सहायता कर सकता है

- यह नहीं बता सकता है कि आपको अपना मत किसे देना चाहिए

- आपके मत को गुप्त रखेगा।

यदि आपसे गलती हो जाए, तो क्या करना चाहिए?

यदि अपने मतपत्र भरते समय आपसे कोई गलती हो जाए, तो मतपत्रों को उस चुनाव अधिकारी के पास वापिस ले जाएँ जिसने आपको मतपत्र दिए थे।

चुनाव अधिकारी को बताएँ कि:

- आपसे गलती हो गई है
- आपको एक नए मतपत्र की आवश्यकता है।

चुनाव अधिकारी:

- आपसे गलत भरा गया मतपत्र वापिस लेगा
- आपको एक नया मतपत्र देगा।

आप अपना नया मतपत्र ले जाकर भर सकते/सकती हैं।

आपको अपने मतपत्र कहाँ जमा करने चाहिए?

जब आपने अपने मतपत्र भर लिए हों, तो आपको उन्हें **मतपेटी** में डालना चाहिए।

मतपेटी एक मोहरबंद डिब्बा होता है। मतदाता अपने मतपत्रों को भरकर मतपेटी में डालते हैं।

वहाँ 2 मतपेटियाँ उपलब्ध होंगी:

- एक मतपेटी हरे रंग के मतपत्रों के लिए
- एक मतपेटी सफेद रंग के मतपत्रों के लिए।

आपको अपना हरे रंग का मतपत्र उस मतपेटी में डालना चाहिए, जिसपर Green लिखा हुआ होगा।

आपको अपना सफेद रंग का मतपत्र उस मतपेटी में डालना चाहिए, जिसपर White लिखा हुआ होगा।

यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो, तो चुनाव अधिकारी से पूछें।

अपने मतपत्रों को मतपेटियों में डाल देने के बाद आपका मतदान पूरा हो जाता है।

क्या आप चुनाव से पहले मतदान का अभ्यास कर सकते/सकती हैं?

यदि आप मतदान का अभ्यास करना चाहते/चाहती हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते/सकती हैं।

www.aec.gov.au/practice

आपके अभ्यास मतदान की गणना नहीं की जाती है।

चाहे आपने अभ्यास मतदान किया हो, परंतु फिर भी आपके लिए

- मतदान स्थल पर

  या

- डाक से

मतदान करना आवश्यक होता है।

आप और अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते/सकती हैं?

यदि आप मतदान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं, तो हमारे पास पढ़ने के लिए 2 अन्य मार्गदर्शिकाएँ हैं:

- *मतदान के लिए नामाँकन कैसे करें*
- *डाक से मतदान कैसे करें।*

आप हमारी वेबसाइट से इन मार्गदर्शिकाओं को प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

www.aec.gov.au/assistance

अँग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का उपयोग करने वाले लोगों के लिए भी हमारी वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।

शब्द सूची

मतपेटी

मतपेटी एक मोहरबंद डिब्बा होता है जिसमें मतदाता अपने मतपत्रों को भरकर डालते हैं।

मतपत्र

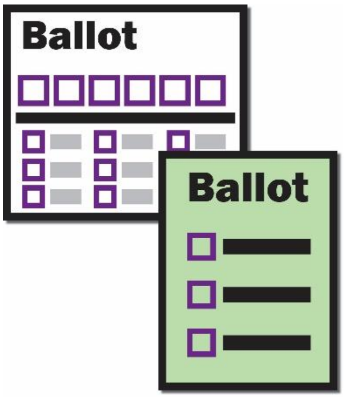

मतपत्र:

- वे फॉर्म होते हैं जिन्हें आप अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने के लिए भरते/भरती हैं
- में उम्मीदवारों के नाम छपे हुए होते हैं।

नागरिक

नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे अपने निवास के देश के अधिकार और स्वतंत्रताएँ दी जाती है।

चुनाव अधिकारी

चुनाव के दिन मतदान स्थलों पर कार्य करने वाले व्यक्ति।

उनका कार्य आपकी सहायता करना होता है।

मतदाता सूची

मतदान करने वाले व्यक्तियों की सूची।

नामाँकन करना

जब आप अपना नामाँकन करते/करती हैं, तो हम मतदाताओं की एक सूची में आपका नाम दर्ज करते हैं।

संघीय चुनाव

संघीय चुनाव पूरे देश के लिए होता है।

इसके माध्यम से हम ऑस्ट्रेलिया की सरकार का चयन करते हैं।

प्रतिनिधि सदन

प्रतिनिधि सदन:

- ऑस्ट्रेलिया की संसद के 2 सदनों में से 1 सदन है - इस सदन में सरकार बनाई जाती है
- में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों द्वारा मतदान से चुने गए 151 लोग शामिल होते हैं।

राजनीतिक दल

राजनीतिक दल उम्मीदवारों का एक समूह होता है जो:

- एक ही विचार रखते हैं
- इसपर सहमति रखते हैं कि सरकार को हमारा देश कैसे चलाना चाहिए।

मतदान स्थल

मतदान स्थल स्कूल या सामुदायिक केंद्र जैसा एक भवन होता है, जहाँ चुनाव के दौरान लोग मतदान करने के लिए जाते हैं।

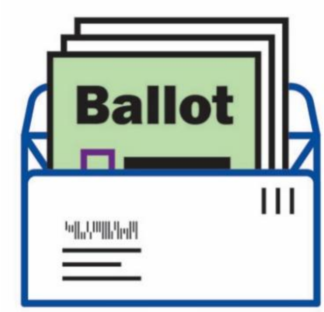

डाक से मत

आप हमें अपना मत डाक से भेजते/भेजती हैं।

सीनेट

सीनेट

- ऑस्ट्रेलिया की संसद के 2 सदनों में से 1 सदन है - इसे उच्च सदन कहा जाता है
- में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों द्वारा मतदान के माध्यम से चुने गए 76 लोग शामिल होते हैं, जो:
  - 6 राज्यों
  - 2 राज्य-क्षे त्रों

का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मतदान करना

जब आप मतदान करते/करती हैं, तो आप इस बात का चयन करने में सहायता देते/देती हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार का हिस्सा कौन बनेगा।

मतदाता

वे व्यक्ति जो मतदान कर सकते हैं।

हमसे संपर्क करें

राष्ट्रीय रिले सेवा

टीटीवाई उपयोगकर्ता:

- इस नंबर पर फोन करें: 13 36 77
- इस नंबर से जोड़े जाने के लिए निवेदन करें: 13 23 26

स्पीक एंड लिसन उपयोगकर्ता:

- इस नंबर पर फोन करें: 1300 555 727
- इस नंबर से जोड़े जाने के लिए निवेदन करें: 13 23 26

इंटरनेट रिले उपयोगकर्ता:

- एनआरएस से कनेक्ट करें
- इस नंबर से जोड़े जाने के लिए निवेदन करें: 13 23 26

अन्य भाषाएँ:

- इस नंबर पर फोन करें: 1300 720 153

www.aec.gov.au

/AusElectoralCom/

@AusElectoralCom

@auselectoralcom

सूचना पहुँच समूह ने स्टॉक फोटोग्राफी और कस्टम चित्रों का उपयोग करके पढ़ने में आसान इस मार्गदर्शिका को तैयार किया है।

अनुमति के बिना चित्रों का पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है। चित्रों के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए कृपया www.informationaccessgroup.com पर जाएँ। जॉब नंबर 3035-B का प्रयोग करें।

उप चुनाव आयुक्त, कैनबरा द्वारा प्राधिकृत।